

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक-454/ दो-12-16/2024(फा212)

उज्जैन, दिनांक 22/06/26

कतिपय मामलों में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण प्रस्तुत होने के समय प्रकरण से संबंधित मुद्देमाल के पर्चे मालखाना/नजारत अनुविभाग में मुद्देमाल जमा कराये जाने हेतु नहीं भिजवाये जा रहे हैं तथा कई प्रकरणों में मुद्देमाल की स्थिति प्रकरण के निराकरण तक स्पष्ट नहीं हो पाती है कि उक्त प्रकरण का मुद्देमाल कहां (मालखाना/पुलिस अभिरक्षा में) है और ऐसी स्थिति में प्रकरणों के विचारण/निराकरण के समय मुद्देमाल के अभाव में कार्यवाही बाधित होती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुद्देमाल पर्चों के संबंध में प्रकरण के निराकरण के पश्चात प्रकरण अभिलेखागार में भिजवाये जाते समय मुद्देमाल पर्चा मालखाना अनुभाग में निर्णय की टीप अंकित कर भिजवाया जाने के संबंध में पूर्व में परिपत्र क्रमांक 752 दिनांक 03.11.2025 भी परिचलित किया गया था, किन्तु उक्त निर्देशों का भी पालन किया जाना नहीं पाया जा रहा है।

अतः भविष्य में न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण प्रस्तुत होने के समय मुद्देमाल के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए मुद्देमाल पर्चा मालखाना अनुविभाग में भिजवाया जाकर मुद्देमाल क्रमांक अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें और परिपत्र क्रमांक 752 दिनांक 03.11.2025 का भी पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

उज्जैन(म0प्र0)

पृष्ठा.क्र.-4793/ दो-12-16/2024(फा212)

उज्जैन, दिनांक.....

प्रतिलिपि-

23 JUN 2026

1. समस्त प्रभारी अधिकारी, मालखाना अनुभाग, उज्जैन, खाचरौद, नागदा, बड़नगर, तराना, महिदपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिक से अधिक मुद्देमाल का नियमानुसार निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. श्री संतोष सैनी नोडल आफिसर (मालखाना) उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जे.एस.ए.कम्प्यूटर अनुभाग, उज्जैन की ओर परिपत्र की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, परिपत्र की उपरोक्तानुसार प्रति सर्व संबंधित को ई-मेल/व्हाट्सएप द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

उज्जैन (म0प्र0)